

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151774/2022

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।																																																																	
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।																																																																	
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के अन्तर्गत वन मण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र कथुआ एवं वितरंगी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत पाईप लाइन डालने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है। <table><tr><th>जिला</th><th>वन मण्डल</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा हे. में</th></tr><tr><td>सिंगरौली</td><td>सिंगरौली</td><td>कथुआ</td><td>आर-868</td><td>0.045</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-867</td><td>0.07</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-15</td><td>0.154</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-19</td><td>0.15</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-16</td><td>0.01</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-871</td><td>0.22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-872</td><td>0.09</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-862</td><td>0.083</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-849</td><td>0.054</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-848</td><td>0.145</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-792</td><td>0.21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>आर-864</td><td>0.216</td></tr></table>	जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में	सिंगरौली	सिंगरौली	कथुआ	आर-868	0.045				आर-867	0.07				आर-15	0.154				आर-19	0.15				आर-16	0.01				आर-871	0.22				आर-872	0.09				आर-862	0.083				आर-849	0.054				आर-848	0.145				आर-792	0.21				आर-864	0.216
जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में																																																															
सिंगरौली	सिंगरौली	कथुआ	आर-868	0.045																																																															
			आर-867	0.07																																																															
			आर-15	0.154																																																															
			आर-19	0.15																																																															
			आर-16	0.01																																																															
			आर-871	0.22																																																															
			आर-872	0.09																																																															
			आर-862	0.083																																																															
			आर-849	0.054																																																															
			आर-848	0.145																																																															
			आर-792	0.21																																																															
			आर-864	0.216																																																															

			आर-795	0.08
			आर-796	0.08
			आर-794	0.22
			पी-875	0.12
			पी-841	0.1
			पी-843	0.2434
			पी-876	0.033
			पी-838	0.055
		वितरंगी	आर-14	0.171
			आर-12	0.0850
			आर-8	0.092
			आर-9	0.0940
			आर-7	0.0180
			आर-90	0.1250
			आर-23	0.0350
			आर-10	0.0230
			आर-11	0.1400
			आर-35	0.1450
			आर-46	0.3157
			आर-43	0.022
			पी-3	0.0810
			पी-2	0.1950
			पी-888	0.1200
			योग	4.0401

वन मण्डल सिंगरौली के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि कक्ष क्रमांक आरएफ-14, 12, 8, 9, 7, 90, 23, 10, 11, 35, 46, 43, 15, 19, 16, 792, 796 एवं पी.एफ-888 वन मण्डल की कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कारीडोर के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान है।